न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

रेफरेन्स आवेदन पत्र सं. 115/2011

प्रार्थी–

राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार गुड़ामालानी

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. रेवंतसिंह पुत्र सांगीदानसिंह जाति राजपूत निवासी ढ़ीमड़ी
2. दाना पुत्र धर्मा फौत के कायम मुकाम

2.1 कालू वल्द दाना

2.2 बबरी पत्नि दाना

2.3 मंगला वल्द दाना (फौत)

2.3.1 आलम वल्द मंगला

2.3.2 अणसी पत्नि मंगला

जाति दर्जी हाल निवासी दर्जीयों का वास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

3. खंगारा पुत्र पुरखा जाति कलबी साकिन ढ़ीमड़ी
4. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा गुड़ामालानी

रेफरेन्स आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित धारा 82 व 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 31.05.1968 जो नामान्तरकरण सं. 44 व 114 दिनांक 04.01.1969 व 18.12.1978 पर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री पूनमाराम विश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 03 की ओर से उपस्थित।
3. श्री नृसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 04 की ओर से उपस्थित।
4. अप्रार्थी सं. 01 व 02 अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आदेश

दिनांक : 05/02/2021

1. संक्षेप में रेफरेंस आवेदन पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम ढ़ीमड़ी की भूमि खसरा नं. 151 रकबा 400–04 बीघा गत बन्दोबस्त के समय गैर मुमकिन नदी राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपने आदेश दिनांक 31.05.1968 के जरिये अप्रार्थी सं. 01 को उक्त ग्राम ढ़ीमड़ी के खसरा नं. 151/5 गैर मुमकिन नदी में बिना जॉच किये 30 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया। तहसीलदार गुड़ामालानी को गैर मुमकिन नदी के नियमन का क्षेत्राधिकार नहीं था। प्रार्थी ने यह रेफरेंस आवेदन पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित धारा 82 व 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर इस आवंटन को गलत बताते हुए आवंटन कमेटी के आवंटन आदेश दिनांक 31.05.1968 को निरस्त करने एवं ग्राम ढ़ीमड़ी की आराजी खसरा नम्बर 151/5 रकबा 30 बीघा को अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी से निरस्त कर गैर मुमकिन नदी दर्ज करवाने हेतु मामला राजस्व मण्डल को रेफर करने का निवेदन किया।

2. रेफरेन्स आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद नोटिस तामिल हाजिर नहीं आने के फलस्वरूप एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गए। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित एवं जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी। राजकीय अभिभाषक का यह तर्क है कि ग्राम ढ़ीमड़ी का खसरा नं. 151 रकबा 400–04 बीघा वक्त सेंटलमेंट से गैर मुमकिन नदी के रूप में राजस्व अभिलेख में अभिलिखित था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत यह भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की है जिसका खातेदारी की घोषणा अथवा आवंटन आदि नहीं किया जा सकता। राजकीय अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम रा[illegible]रित निर्णय दिनांक 02.08. 2004 के द्वारा उक्त श्रेणी की भूमि का आवंटन अथवा खातेदारी को अवैध मानते हुए निरस्त करने के निर्देश दिये। आवंटन कमेटी का आदेश दिनांक 31.05.1968 को गलत एवं अवैध बताते हुए नियमन निरस्त करने एवं मामला राजस्व मण्डल को प्रेषित करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में निवेदन किया कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी एवं अप्रार्थी के पूर्वजों का सैटलमेंट से पूर्व कई वर्षों से कब्जा था तथा यह कृषि भूमि थी उसी अनुसार अप्रार्थी को कृषि भूमि आवंटन की गई है। राजस्व रेकर्ड में वक्त सैटलमेंट उक्त भूमि गैर मुमकिन नदी गलत दर्ज हुई थी। अतः रेफरेंस प्रार्थना–पत्र गलत, आधारहीन व सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

5. अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से जवाब में निवेदन किया कि रेफरेन्स अधीन प्रश्नगत भूमि खसरा नंबर 151/5 मौके पर गैर मुमकिन नदी न होकर काबिल काश्त बारानी दोयम भूमि होने से उक्त भूमि के काश्तकारों द्वारा अपनी आजिविका के निर्वाह हेतु क़रीब 50 वर्षों से काश्त की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा इस भूमि को अपने आदेश क्रमांक प. 1(282)राज/ग्रुप–3/95 दिनांक 03.02.1997 के द्वारा सिवायचक बारानी दोयम अमलदरामद करने का जारी किया गया है। इसकी पालना में जिला कलक्टर, बाड़मेर के पत्र क्रमांक प.12(12)19/राज/96/2230–35 दिनांक 04.03.1997 के जरिये राजस्व अभिलेख में किस्म परिवर्तन कर अमलदरामद करने का आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को जारी किया गया तथा इस आदेश की पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रश्नगत भूमि को बारानी दोयम दर्ज की गई। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा राजस्व अभियान के दौरान प्रश्नगत भूमि पर अपना कब्जा होने से अप्रार्थी संख्या 4 वित्तीय संस्था के पास भूमि की उत्पादन क्षमता एवं उर्वरकता क्षमता बढाने के लिये ऋण प्राप्त कर भूमि को रहन (मोर्गेज) रखा गया है। अप्रार्थी संख्या 4 ने राजस्व रेकर्ड की समस्त प्रविष्ठियां जांच कर ऋण स्वीकृत किया गया है तथा जबतक भूमि रहन मुक्त नहीं हो जावे, अप्रार्थी के हितों के विपरीत कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

6. हमने अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की बहस पर मनन किया एवं पत्रावलियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार गुड़ामालानी ने यह आवेदन पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित धारा 82 व 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर विप्रार्थी को भूमि आवंटन कमेटी द्वारा मौजा ढीमड़ी के खसरा नंबर 151/05 रकबा 30 बीघा भूमि की अप्रार्थी की खातेदारी से निरस्त कर [illegible] कब्जा गैर मुमकिन दर्ज करने हेतु मामला राजस्व मण्डल को रैफर करने हेतु पेश किया गया है। प्रस्तुत रेकर्ड के अवलोकन से यह पाया जाता है कि मौजा ढीमडी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:41 IST
Reason: SelfAttested

अवस्थित भूमि खसरा नं. 151 रकबा 400–04 बीघा वक्त सैटलमेंट के समय से गैर मुमकिन नदी के रूप में दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत चारागाह, नाडी, तालाब, नदी आदि की भूमियां प्रतिबंधित भूमियां है, जिनका आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है एवं न ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। गलत आवंटन के फलस्वरूप पारित नामान्तरकरण गलत होने से निरस्त होने योग्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त श्रेणी की भूमियों को आवंटन अथवा खातेदारी को अवैध मानते हुए निरस्त करने के निर्देश दिये है। तहसीलदार गुड़ामालानी ने इस संबंध में कोई जॉच नहीं कर बिना कोई रिकोर्ड तथा कानून के सभी प्रावधानों को ताक में रखकर धारा 16 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम का उल्लंघन कर अप्रार्थी में पक्ष में भूमि आवंटन करने एवं आवंटन के पश्चात् तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण पारित करने में भारी भूल की है, जो निरस्त करने योग्य है। जहां तक अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से प्रस्तुत अभिकथन कि प्रश्नगत भूमि बैंक के पक्ष में रहन रखी हुई है तथा रहन मुक्त होने के उपरान्त ही आदेश पारित किया जावे यह माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में मानने योग्य नहीं है। प्रश्नगत भूमि का विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर आवंटन किया जाना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है तथा उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे में प्रश्नगत भूमि के आवंटन एवं क्रमतर नामान्तरकरणों को निरस्त करने हेतु यह मामला माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किये जाने योग्य है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 खंगारा को दिनांक 31.05.1968 को ग्राम ढ़ीमड़ी के खसरा नं. 151/5 रकबा 30 बीघा भूमि आवंटन एवं तत्पश्चात प्रदत्त उसकी खातेदारी निरस्त करने हेतु मामला राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर किया जाता है।

8. आदेश आज दिनांक 05.02.2021 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:41 IST
Reason: SelfAttested

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर